गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/ 22490-23079   दिनांक: 11.अगस्त, 2010

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक,
प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अभियंत्रण एवं
व्यावसायिक संस्थाएं ।

विषय- दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों से प्रवेश के समय शुल्क न लिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि दिनांक 7.7.10 को सम्पन्न प्राविधिक शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय को यह निर्देशित किया गया है कि रुपया एक लाख तक की आय तक प्रमाण पत्र देने वाले किसी भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं से प्रवेश के समय किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क न लिया जाए, और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

इस संबन्ध में यह अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/8758-9347 दिनांक: 8 जून, 2010 द्वारा इस संबन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 2335/सोलह-1-2004-एल0सी0, दिनांक 15.7.2004 की प्रति संलग्न करते हुए पूर्व में इस आशय के निर्देश दिये गये है कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के रु0 एक लाख तक प्रति वर्ष की आय सीमा वाले अभिभावकों के आश्रित छात्रों से प्रवेश के समय ही छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा कराए जाए और पात्र छात्रों से प्रवेश शुल्क न लिया जाए तथा शिक्षण संस्थाए छात्रवृत्ति/शुल्क की मांग तत्काल समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करें । यह भी निर्देशित किया गया है कि फीस प्रतिपूर्ति के लिये सभी

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185

प्रस्ताव दिनांक 31.10.2010 तक सभी संस्थाएं समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि समाज कल्याण विभाग द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

इस संबंध में यह भी सूचित है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र छात्रों से प्रवेश के समय शुल्क न लिये जाने के आवश्यक निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भी निर्गत किये गये है। अतएव यह भी सूचित है कि यदि संस्थाएं अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र छात्रों से शिक्षण शुल्क लेती है तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही जिसमें संस्था की सम्बद्धता समाप्ति भी सम्मिलित है, किये जाने की बाध्यता होगी ।

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

<u>पृष्ठांकन सं0 व दिनांक–उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र सं0 2015/सोलह–1–2010–14(31)/2009, दिनांक 28 जुलाई, 2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन–2732193, फैक्स–2732185